



# कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

जिला चिकित्सालय कैंपस, कुतुबखाना रोड, बरेली।

E-mail :nrhmrch.bareilly@gmail.com/ nrhm\_bareilly@rediffmail.com

Ph. No.: 0581-2552984

## जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेस कमेटी की मासिक बैठक की कार्यवृत्त जनपद बरेली

दिनांक 06 अक्टूबर 2016 को जिला क्वालिटी एश्योरेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली द्वारा की गई। बैठक में प्रतिभागियों का विवरण निम्नवत है-

1. डॉ० के०एस०गुप्ता, ए०डी०एस०आई०सी०, म०प्र०जि०सं०चि०, बरेली।
2. डॉ० अलका शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
3. डॉ० एस०एस०चौहान, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
4. डॉ० रमेश चन्द्र, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेली।
5. डॉ० आलोक चन्द्रा, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रशासन), बरेली।
6. डॉ० नीलम आर्या, वरिष्ठ परामर्शदाता, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
7. डॉ० सौरभ सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भोजीपुरा।
8. डॉ० ए०ए०अन्सारी, अधीक्षक, फरीदपुर।
9. डॉ० नितेश कनेरिया, डी०क्यू०ए०सी०, बरेली।
10. डॉ० फैज शम्सी, हॉस्पिटल मैनेजर म०प्र०जि०सं०चि०, बरेली।
11. डॉ० निशा सिंह राणा, क्वालिटी हॉस्पिटल मैनेजर, जिला महिला चिकित्सालय बरेली।
12. श्री जितेन्द्र सिंह, जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बरेली।
13. श्री एस०पी० सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, बरेली।
14. श्री ब्रजलाल वर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बरेली।
15. श्री शरद जौहरी, सहायक शोध अधिकारी, बरेली।
16. श्री नवीन राय सहायक कार्यक्रम प्रबन्धक पी०एस०आई, बरेली।

बैठक में सर्वप्रथम विगत बैठक दिनांक 05 सितम्बर 2016 की कार्यवृत्त की समीक्षा की गयी तथा समीक्षा के साथ-साथ नवीन विन्दुओं का विवरण निम्नवत है।

1. जिला चिकित्सा परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए श्री मौ० आरिफ, सहायक अभियन्ता को चिकित्सालय के प्रवेश द्वारों पर 30 अक्टूबर 2016 तक कैटल ट्रेप लगाने को दुसरी बार निर्देशित किया गया। जो कि विगत माह में 12 सितम्बर तारीख दी गयी थी।  
(कार्यवाही-सहायकअभियन्ता,कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी।)
2. अस्पताल परिसर में निवास करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के पालतू पशुओं को अस्पताल परिसर में प्रवेश ना करने का निर्णय लिया गया था। निर्णय के उपरान्त भी पालतू पशु अस्पताल परिसर में घूमते नजर आये। जिसके तहत निर्णय लिया गया है कि ए०डी०एस०आई०सी० सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही करे। तदुपरान्त कर्मचारियों के पालतू पशु अस्पताल परिसर में घूमते नजर आये, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी।  
(कार्यवाही- ए०डी०एस०आई०सी०/नोडल अधिकारी)
3. विगत बैठक में अस्पताल परिसर में दुपहिया एवं चार पाहिया वाहनो के प्रवेश निषेध करने के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया था। जिसके तहत महाराणा प्रताप जिला संयुक्त अस्पताल परिसर में ऑपरेशन थियेटर के सामने खाली जगह में पब्लिक के वाहनो की पार्किंग तथा कर्मचारियों के वाहनो की पार्किंग की व्यवस्था अलग से करने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत गत बैठक में पार्किंग की उचित व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।  
(कार्यवाही- ए०डी०एस०आई०सी०)
4. अस्पताल परिसर में संचालित अनाधिकृत विक्रेता के प्रवेश को निषेध करने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही-नोडल अधिकारी)
5. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट- बायोमेडिकल वेस्ट 2016 के नये नियमों के अनुसार कलर कोडेड बिनस, पन्चर और लीक प्रुफ कन्टेनर (सफेद पारदर्शी ), बार कोडेड बिनस और पोलिबैग, नोन क्लोरीनेटेड पोलिबैग की सप्लाई तथा ब्लॉक फ़ैसिलिटी पर नियमानुसार सप्लाई की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एजेन्सी को निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही-नोडल अधिकारी/ए०डी०एस०आई०सी०/सी०एम०एस० फीमेल/अधीक्षक/एम०ओ०आई०सी०)
6. पेस्ट कन्ट्रोल मेजर और एन्टी टरमाईट ट्रीटमेन्ट- महाराणा प्रताप जिला संयुक्त चिकित्सालय,बरेली, जिला महिला चिकित्सालय बरेली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरीदपुर एवं प्रा० स्वा० केन्द्र भोजीपुरा। सभी फ़ैसिलिटी इन्चार्ज को फ़ैसिलिटी में पेस्ट कन्ट्रोल और एन्टी टरमाईट ट्रीटमेन्ट को अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।  
(कार्यवाही-सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा)
7. सामु०स्वा०केन्द्र फरीदपुर/प्रा०स्वा०केन्द्र भोजीपुरा के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल में ड्रेस कोड लागू करने के लिए निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही-सम्बन्धित/एम०ओ०आई०सी०/अधीक्षक)
8. सामु०स्वा०केन्द्र फरीदपुर के अधीक्षक को अस्पताल में रंगाई-पुताई कराने और अस्पताल परिसर में समुचित सफाई व्यवस्था बनाये रखने के लिए निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही- अधीक्षक-फरीदपुर)
9. सामु०स्वा०केन्द्र फरीदपुर/प्रा०स्वा०केन्द्र भोजीपुरा के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को अस्पताल परिसर में हैंड हायजिन, स्वच्छता अभियान, मर्करी स्पील मैनेजमेन्ट, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाईलेक्सिस से सम्बन्धित प्रोटोकॉल को यथाशीघ्र डिस्प्ले करने को निर्देशित किया गया।  
(कार्यवाही-सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी द्वारा)
10. विभिन्न केन्द्रों से प्राप्त असफल नसवन्दी दावों पर विचारकर उनको पूर्णकर राज्य स्तर पर भेजने की सन्तुति की गयी प्राप्त दावों की सूची संलग्न है।

डी०क्यू०ए०सी०

डी०पी०एम०

ए०सी०एम०ओ०(आर०सी०एच०)

अवलोकित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बरेली।

- पत्रांक- मु०चि०अधि०/क्यू०ए०सेल/मासिक बैठक कार्यवृत्त/2016-17/  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महाप्रबन्धक, क्वालिटी एश्योरेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।
  2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० सेवायें बरेली मंडल, बरेली।
  3. ए०डी०एस०आई०सी०, म०प्र०जि०सं०चि०, बरेली।
  4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, बरेली।
  5. डॉ० आर०एन० गिरि, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर०सी०एच०), बरेली।
  6. मण्डलीय क्वालिटी एश्योरेस कन्सलटेंट, बरेली मण्डल, बरेली।
  7. मंडलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, बरेली मंडल, बरेली।
  8. डॉ० ए०ए०अन्सारी, अधीक्षक, फरीदपुर।
  9. डॉ० सौरभ सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, भोजीपुरा।
  10. श्री मोहम्मद आरिफ, सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

दिनांक-06.10.2016

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
बरेली।